भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2414
सोमवार, 01 अगस्त, 2022/10 श्रावण, 1944 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत निधि

2414. श्री रमेश चन्द्र कौशिकः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत हरियाणा को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के तहत हरियाणा और सोनीपत निर्वाचन क्षेत्र में लाभार्थियों के रूप में शामिल कर्मचारियों और उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पूरी योजना के तहत हरियाणा को आबंटित कुल निधि कितनी है; और

(घ) कोविड-19 महामारी के विस्फोट के बाद हरियाणा के लोगों को रोजगार के कुल कितने अवसर प्रदान किए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): वर्ष 2021-22 के दौरान, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत अंतिम अनुमान के रूप में, 4180 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 6400 करोड़ रुपये की घनराशि आवंटित की गई है। इस योजना के तहत धनराशियों का कोई विशिष्ट राज्यवार आवंटन नहीं है।

दिनांक 22.07.2022 तक, हरियाणा राज्य में 7,541 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 3.94 लाख लाभार्थियों को 398.40 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया गया है। इसमें सोनीपत के 22,284 लाभार्थी और 671 प्रतिष्ठान शामिल हैं।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु का अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), वर्ष 2019-20 में 42.9% से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 44% हो गया है जो कि रोजगार वृद्धि को दर्शाता है।

*****